

## कार्यालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/09/2020

थानसिंह सिनसिनवार पुत्र श्री रामदयाल निवासी गांव तिलचिवी पोस्ट हलैना  
तहसील वैर जिला भरतपुर

### बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सतर्कता) भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

### आदेश

**दिनांक 06.02.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त थानसिंह सिनसिनवार पुत्र श्री रामदयाल निवासी गांव तिलचिवी पोस्ट हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 06.11.2019 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सतर्कता) भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सतर्कता) भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/42 दिनांक 20.01.2020 से अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सतर्कता) भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सतर्कता) भरतपुर एवं प्रभारी अधिकारी आवक-जावक कलैक्ट्रट भरतपुर से प्राप्त जबाब क्रमांक 214 दिनांक 03.02.2020 व 6 दिनांक 05.02.2020 से प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सतर्कता) भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सतर्कता) भरतपुर से उक्त सूचनाएं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सतर्कता) भरतपुर से प्राप्त जबाब क्रमांक 214 दिनांक 03.02.2020 एवं प्रभारी अधिकारी आवक-जावक कलैक्ट्रट भरतपुर से प्राप्त जबाब के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। इनके द्वारा अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक नं0 4482-4483 दिनांक 02.12.2019 एवं 05 दिनांक 05.02.2020 की प्रति भिजवाई गई है।

अपीलांट को रेस्पो ने सम्पूर्ण सूचनाएं भिजवाई गई हैं। अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सतर्कता) भरतपुर एवं प्रभारी अधिकारी आवक—जावक कलैक्ट्रट भरतपुर को प्रेषित की जावे ।

(नथमल डिडेल)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

